FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर SDO मुकाम बायतु

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 88 R.T.Act नं. 97 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत [illegible] ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 R.T.Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22.07.19 को पेश हो।	
22/07/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील फर्द तामील अप्राप्त। [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] के व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/10/19 को पेश हो।	
22/10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील फर्द तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 13/11/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/11/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील फर्द तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली फाईल दिनांक 24/12/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:10:46 IST
Reason: SelfAttested

24/12/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 तहसीलदार बायतु उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-3 बावजूद तामिल हुए न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई प्रतिवादी संख्या-3 उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 से PW-3 के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 व DW-2 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 07/01/2020 को पेश हो।

बा. लि. 10/1/2020

(नरपतसिंह)

(Harchand Ram)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:10:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रम	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/01/2020	वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के वकील उपस्थित। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व० प्रागाराम के वंशज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 एक ही परिवार के सदस्य होने व संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार होने के कारण वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या-1 के पूर्वज स्व० प्रागाराम की खातेदारी के खेत मौजा-माहिमानी सुरो की ढाणी परवार हल्का बायतु पनजी तहसील बायतु में खसरा नम्बर 169 रकबा-47.11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर-386 रकबा-0.04 बीघा किस्म गै० मु० ढाणी, खसरा नम्बर-387 रकबा-130.15 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर-419/130 रकबा-47.13 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा-234.03 बीघा के काबिज हुए है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक सम्पति होने के कारण वादग्रस्त आराजी में मालिक खानदानी सजरा के वादी संख्या-1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या-2 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या-3 से 5 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी में बनता है। लेकिन वादीगण संख्या-1 व 2 के दादाजी, वादीनी संख्या-3 के दादा ससुर व वादीगण संख्या 4 व 5 के परदादा प्रागाराम के नाम से बन्दोबस्त सेटलमेन्ट दर्ज हुई थी प्रागाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि वादीगण की पैतृक भूमि होने एवं वादीगण का परिवार हिन्दू विधि से शासित होने से उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 के साथ वादीगण के जन्म से ही पैदा होता है इस कारण वादीगण अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या के साथ वादी संख्या-1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या-2 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या-3 से 5 का 1/4 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। जिस हेतु उक्त वाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:10:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हिस्से की घोषणा बाबत पेश किया गया। वाद कारण आज से पूर्व जब वादग्रस्त आराजी के अकेले प्रतिवादी संख्या-1 का नाम दर्ज हो गया जिसकी जानकारी वादीगण को हुई तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 को उक्त खेत में अपना हिस्सा देने को कहा गया तब प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा आनाकानी की जाने लगी तब-तब वमुकाम माहीगाणी मूंगो की ढाणी तहसील-बायतु में उत्पन्न हुआ तब वादीगणों द्वारा यह वाद घोषणा का पेश किया।
	वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रवेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया जाकर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में सहमती जाहिर की गई प्रतिवादी संख्या-3 बावजूद तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में PW-1 से PW-3 व प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 व DW-2 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिनमें भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को सही होना बताया गया।
	हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड तथा वादीगण व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों का अवलोकन करने के बाद उक्त विवादित भूमि पैतृक साबित होती है।
	अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-माहीगाणी मूंगो की ढाणी पटवार हल्का बायतु पनजी तहसील-बायतु में खसरा नम्बर-169 रकबा-47.11 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर-386 रकबा-0.04 बीघा किस्म गै०मु०ढाणी खसरा नम्बर-387 रकबा-138.15 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर-413/130 रकबा-47.[illegible] बीघा

सहायक [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:10:46 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किस्म बारानी सोयम कुल रकबा - 234.3 बीघा भूमि में वादी संख्या-1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या-2 का 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या-3 ता 5 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-1 का 1/4 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाबत नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर ते हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:10:46 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री विवेक व्यास R.A.S. मुकाम बायतु

नगेन्द्र चौधरी वगैरा बनाम जेठाराम वगैरा

बाबत रा० वाद 88,188 RTAct

मुकदमा नं. 97/19 सन् 2019

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री नरपत पूनड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित अराजी मौजा-माडियानी सूनों की ढाणी पटवार हल्का बायतु पनजी तहसील- बायतु के खेत खसरा नम्बर-169 रकबा- 47.11 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर - 386 रकबा - 0.04 बीघा किस्म गै० मु० ढाणी, खसरा नम्बर - 387 रकबा - 138.15 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर-419/130 रकबा - 47.13 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा - 234.03 बीघा भूमि में वादी संख्या-1 को 1/4 हिस्सा, वादी संख्या - 2 को 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या-3 से 5 को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-1 को 1/4 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम.......... मुबलिंग.......... बाबत् —

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक — को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 20 20 को जारी की गई।

दस्तखत [signature] सहायक कलक्टर (SDO)

ओहदा बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			मीजान		
मीजान					

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं ... चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:10:46 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

बनाम

1. नगेन्द्र चौधरी पुत्र जेठाराम
2. भेराराम पुत्र जेठाराम
3. हरचंदराम पुत्र बगताराम
4. ताराचंद पुत्र बगताराम
5. चुन्नीदेवी पत्नि बगताराम

जातिभान-जाट, निवासीभान-
माईकानी मूठो की ढाणी बायतु
पनजी तहसील-बायतु
जिला-बाड़मेर

प्रतिवादी...

1. जेठाराम पुत्र ...
जाति-जाट निवासी-...
मूठो की ढाणी बायतु पन...
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर
2. श्रीमान तहसीलदार बायतु
3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय
भारतीय स्टेट बैंक बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सेवामें,
श्रीमान स...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:10:46 IST
Reason: SelfAttested